

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग

चौथा तल , के.ज.आ.
आर. के. पुरम, नई दिल्ली -66
दिनांक मार्च 2021


कार्यालय आदेश

In supersession of this Section's Office Order No. 4/1/2011 –Estt. XIII dated 16.03.2021, भारत सरकार के व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No. 12(2)/2020-EII(A) दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार Special cash package equivalent in lieu of Leave Travel concession Fare for Central Government Employees for the Block Year 2018-21 के अंतर्गत 10 दिन की नकद राशि के भुगतान के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है :-

1	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	श्री केशव कुमार सचदेवा , मुख्य कैमरामैन (M/F)
2	मूल वेतन	Rs. 66,000/-
3	छुट्टी यात्रा रियायत का ब्लाक वर्ष	2018-21
4	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए नकद भुगतान हेतु अर्जित छुट्टी	10 दिन
5	उक्त कॉलम 4 में दर्शायी गयी 10 दिन की अर्जित छुट्टी के एवज में मंजूर की जा रही नकद भुगतान की राशि	Rs. 25,740/- (केवल पच्चीस हजार सात सौ चालीस रुपये)
6	छुट्टी खाते से काटे जाने वाली अर्जित छुट्टी	10 दिन
7	बकाया अर्जित छुट्टी	300 + 5 दिन
8	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए नकद भुगतान हेतु बकाया अर्जित छुट्टी	60 - 10 = 50 दिन

उपरोक्त व्यय वित्तिय वर्ष 2020-21 में Head of Account - 2701800010100015 D&A (NP) Salary में प्रभार्य होगा ।

Further, the above officer is requested to submit receipts of invoices of purchase made/services availed as given in Para 2(e) & 2(f) of DoE's said OM dated 12.10.2020 to Accounts wing of CWC (HQs). Accounts Officer, CWC Shall account for Non-Utilization of the said advance with the extant provisions relating to LTC advance.


(Rajesh Sharma)
Under Secretary

Copy to:-

1. Accounts Officer, CWC , New Delhi
- ✓ 2. Concerned person through CWC website
3. Section officer, Accounts- II (2 copies) , CWC New Delhi